राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प. 19(10)न्याय/2019 जयपुर दिनांकः 09.12.2020

–:संशोधित आज्ञाः–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में 190 चयनित अभ्यर्थियों को उनके योग्यता क्रम के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परामर्श एवं अभिशंषा अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 26 के अनुसार 2 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर वेतनमान 27700–770–33090–920–40450–1080–44770 में पद का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति इस विभाग के समसंख्यक आज्ञा दिनांक 25.09.2020 के द्वारा की गयी है।

उक्त आदेश में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परामर्श एवं अभिशंषा अनुसार आंशिक संशोधन कर आदेश में अंकित नियुक्ति के नामों के नीचे तथा 190 न्यायिक अधिकारियों के पदस्थापन एवं प्रशिक्षण संबंधी आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी किये जायेंगे के बीच में निम्न पढ़ा जावे।

"Appointment of candidates in Rajasthan Judicial Service(RJS) shall remain subject to final outcome of D.B. Civil Writ Petition Nos. 18403/2019, 18755/2019 & 18848/2019. Pending before Hon'ble Rajasthan High Court Jaipur"

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

9.12.2020

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक 4294 दिनांक 23.10.2020 के क्रम में।
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
8. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित अधिकारी मार्फत रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
10. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

9/12/20
संयुक्त शासन सचिव

E:\Piyush 2020\Order.docx